इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 190] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 जून 2020—ज्येष्ठ 15, शक 1942

विधि और विधायी (निर्वा.) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 5 जून 2020

फा. 12-वि.निर्वा.-2020-चार-राज्यसभा-29.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 318-CS-Multi-2020-(1), दिनांक 5 जून 2020 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है.

दिशा प्रणय नागवंशी, उपसचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून, 2020—ज्येष्ठ 15, 1942 (शक)

अधिसूचना

सं. 318-रा.स.-मल्टी-2020 (1).—यत:, भारत निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों से अप्रैल, 2020 माह में सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों की 55 सीटें भरने के लिए दिनांक 25 फरवरी 2020 को राज्य सभा के निर्वाचनों की घोषणा की थी, जिन्हें दिनांक 6 मार्च 2020 की अधिसूचना संख्या 318-रा.स.-मल्टी-2020 (1) के तहत अधिसूचित किया गया था. दिनांक 18 मार्च 2020 को नाम वापिस लेने की अंतिम तारीख के उपरान्त, संबद्ध रिटर्निंग अधिकारियों ने 10 राज्यों की 37 सीटें निर्विरोध भरे जाने की घोषणा की. इसके अतिरिक्त, संबद्ध रिटर्निंग अधिकारियों से प्राप्त हुई रिपोर्ट के अनुसार. ये द्विवार्षिक निर्वाचन आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्यप्रदेश, मणिपुर, मेघालय और राजस्थान राज्यों से 18 सीटों के लिए दिनांक 26 मार्च 2020 (गुरुवार) को आयोजित किए जाने थे और जैसा कि आयोग द्वारा दिनांक 6 मार्च 2020 की अधिसूचना के अनुसार पहले घोषणा की गई थी, जिस तारीख से पहले निर्वाचन संपन्न करवाये जाने थे, वह तारीख 30 मार्च 2020 (सोमवार) थी; और

यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 153 में यह विनिर्दिष्ट है कि निर्वाचन आयोग किन्हीं भी कारणों, जो इसे उचित लगें, से उक्त अधिनियम की धारा 30 अथवा धारा 39 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत आयोग द्वारा जारी की गई अधिसूचना में आवश्यक संशोधन करते हुए किसी भी निर्वाचन को पूरा/संपन्न किये जाने के लिए समय-सीमा में विस्तार कर सकता है. तद्नुसार, कोविड-19 की वजह से जन स्वास्थ्य संबंधी आपातकाल की मौजूदा अप्रत्याशित स्थिति और देश में जारी संबद्ध हिदायतों (एडवाइजरी) को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग ने दिनांक 24 मार्च 2020 के अपने आदेश के तहत मतदान आस्थगित कर दिए थे और उक्त अधिनियम की धारा 153 के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त निर्वाचन की अवधि बढ़ा दी थी तथा यह निर्णय लिया था कि उक्त द्विवार्षिक निर्वाचनों के लिए मतदान तथा मतगणना की नई तारीख की घोषणा, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विद्यमान स्थिति की समीक्षा करने के उपरान्त की जाएगी. इस आदेश में यह भी विनिर्दिष्ट था कि संबद्ध रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा उक्त निर्वाचन के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की पहले से ही प्रकाशित की गई सूची, उन शेष सभी कार्यकलापों के प्रयोजनार्थ वैध रहेगी जो उक्त अधिसूचना (दिनांक 6 मार्च 2020) के अन्तर्गत निर्धारित किए गए थे; और

यत:, जन स्वास्थ्य संबंधी आपातकाल की तत्कालीन विद्यमान स्थितियों की समीक्षा करने के बाद आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 153 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने दिनांक 3 अप्रैल 2020 के आदेश के तहत निर्वाचन की अवधि को उपुर्यक्त सीटों के विहित कार्यकाल से आगे बढ़ा दिया था और यह निर्णय लिया था तत्कालीन विद्यमान परिस्थितियों की समीक्षा करने के बाद उचित समय पर मतदान और मतगणना की नई तारीख सूचित कर दी जाएगी. यह भी स्पष्ट किया गया था कि संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा उक्त निर्वाचनों के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की पहले से प्रकाशित की गई सूची, उन शेष कार्यकलापों के प्रयोजनार्थ वैध रहेगी, जो दिनांक 6 मार्च 2020 की अधिसूचना के अंतर्गत विहित किए गए थे.

यत:, आयोग ने इस मामले की व्यापक समीक्षा की है. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अधीन केन्द्रीय गृह सचिव और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी) के अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए दिनांक 30 मई 2020 के दिशा-निर्देशों सहित सभी कारकों पर विचार करते हुए तथा राज्यों के संबधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से प्राप्त जानकारी (इनपुट) को ध्यान में रखते हुए, आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि आंध्रप्रदेश (04 सीट), गुजरात (04 सीट), झारखंड (02 सीट), मध्यप्रदेश (03 सीट), मणिपुर (01 सीट), मेघालय (01 सीट) और राजस्थान (03 सीट) राज्यों से 18 सीटों के लिए द्विवार्षिक निर्वाचनों के संबंध में मतदान और मतगणना की तारीख निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार होगी:—

विवरण (1)	तारीख (2)
मतदान की तारीख	19 जून, 2020 (शुक्रवार)
मतदान का समय	पूर्वाह्न 09: 00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक
मतगणना	19 जून 2020 (शुक्रवार) सायं 05:00 बजे
वह तारीख, जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	22 जून 2020 (सोमवार)

अत:, अब, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 153 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग दिनांक 06 मार्च 2020 की अपनी अधिसूचना सं. 318-रा.स.-मल्टी-2020 (1) में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करता है:—

उक्त अधिसूचना के पैरा (अ) के उप-पैरा (घ) और (ङ) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

"(घ) 19 जून, 2020 (शुक्रवार), वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ, तो मतदान कराया जाएगा; और
(ङ) 22 जून, 2020 (सोमवार), वह तारीख, जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा ; और ".

आदेश से,
हस्ता./-
(सुमन कुमार दास)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 5th June 2020—Jyaishtha 15, 1942 (Saka)

NOTIFICATION

No. 318-CS-MULTI-2020(1).—WHEREAS, on 25th Febuary 2020 Election Commission of India announced elections to the Council of States to fill 55 seats of Memrbers from 17 States, retiring in the month of April,2020, which werenotified *vide* Notification No. 318-CS-Multi-2020 (1), dated 06th March 2020. After the last date of withdrawal on 18th March 2020, respective Returning Officers declared 37 seats from 10 States filled in uncontested. Further, as per the reports received from the concerned Returning Officers the biennial elections for 18 seats from the States of Andhra Pradesh, Gujarat, Jharkhand, Madhya Pradesh, Manipur, Meghalaya and Rajasthan were to be conduted on 26th March 2020 (Thursday) and the date before which election was to be completed as earlier announced by the Commission was 30th March 2020 (Monday) as per the notification dated 6th March 2020; and

WHEREAS, Section 153 of the Representation of the People Act, 1951 specifies that the Election Commission for reasons which it considers sufficient, may extend the time for the completion of any election by making necessary amendents in the notification issued by it under section 30 or sub-section (1) of section 39 of the said Act. Accordingly, considering the prevailing unforeseen situation of public health emergeny due to COVID-19 and related advisories in the country, the Election Commission, *vide* its Order, dated 24th March 2020, deferred the poll and extended the period of said election under the provisions of Section 153 of the said Act and decided that the announcement of fresh date of poll and counting for the said biennial elections will be made by the ECI after reviewing the prevailing situation. The Order also specified that the list of contesting candidates, already published for the said election by the respective Returning Officers, is to remain valid for the purpose of remaining activities as was prescribed under the said notification (dated 6th March 2020); and

WHEREAS, *vide* its Order dated 3rd April 2020, after reviewing the then prevailing situation of Public health emergency, the Commission further extended the period of election beyond the prescribed term(s) of above-mentioned seats invoking its powers under Article 324 of the Constitution of India read with Section 153 of the Representation of the People Act, 1951 and decided that the fresh date of poll date and counting shall be intimated in due course after reviewing the then prevailing situation. It vas further clarified that the list of contesting candidates, already published for the said elections by the respective Returning Officer, shall remain valid for the purpose of remaining activities, as prescribed under the notification dated 06th March 2020.

WHEREAS, the Commission has reviewed the matter in detail. Considering all factors, including the guidelines dated 30th May 2020 issued by Union Home Secretary and Chairman, National Executive Committee (NEC) under the National Disaster Management Act, 2005 and taking into account the inputs obtained from the Chief Electoral Officers concerned the Commission has decided that the date of poll and counting of votes in respect of the biennial elections for 18 seats from the States of Andhra Pradesh (4 seats), Gujarat (4 seats), Jharkhand (2 seats), Madhya Praclcsh (3 seats), Manipur (1 seats) Meghalaya (1 seats) and Rajasthan (3 seats) shall be as per the following schedule :—

Events (1)	Date (2)
Date of Poll	19th June, 2020 (Friday)
Hours of Poll	09:00 am to 04:00 pm
Counting of Votes	19th June, 2020 (Friday) at 05:00 pm
Date before which election shall be completed	22nd June, 2020 (Monday)

Now, THEREFORE, in view of the above and the exercise of the powers vested under Article 324 of the Constitution read with Section 153 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission here by makes further amendment in its notification No. 318-CS-MULTI-2020 (1), dated 06th March 2020 as under :—

sub-para (d) & (e) of para (A) of the said notification shall be substituted with:—

"(d) the19th June, 2020 (Friday) , as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) the 22nd June, 2020 (Manday), as the date before which the election shall be completed; and".

By order,
Sd./-
(SUMAN KUMAR DAS)
Secretary,
Election Commission of India.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.